भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1148

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लंबित मामले

1148. श्री महेश पोद्दार :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुकदमे के लंबित मामलों की बकाया संख्या बहुत अधिक है;
(ख) यदि हां, तो कुल लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार समयबद्ध तरीके से इन मुकदमों की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): दिनांक 15.02.2018 तक, देशभर के विभिन्न न्यायालयों में कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 के अंतर्गत कुल 45,162 मामले लंबित हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, इस मंत्रालय ने लंबित अभियोजनों की समीक्षा की और वापस लिए जाने हेतु 14,306 अभियोजनों की पहचान की। तद्नुसार, अभी तक मामले वापस लेने हेतु 9,004 आवेदन दायर किए गए हैं। जिनमें से 4,066 मामलों को वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त, अभियोजन दायर करने में एकरूपता लाने और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पाए गए विभिन्न उल्लंघनों के लिए समेकित अभियोजन दायर करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अभियोजनों हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में अभियोजनों की संख्या में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक 30.11.2017 तक कंपनी अधिनियम के तहत 13,307 मामलों का निपटान किया है और 8080 मामले लंबित हैं।

*****